दिनांक: 11.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 149.99 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिग व गस्त को दौरान 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त विपिन सैनी पुत्र सुरेश सैनी निवासी वर्धमान कालोनी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को ग्राम हलालपुर कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 149.99 ग्राम अवैध चरस बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 272/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पताः-

अभियुक्त विपिन सैनी पुत्र सुरेश सैनी निवासी वर्धमान कालोनी थाना कोदेहात जनपद सहारनपुर 0

बरामदगी का विवरण

- 149.99 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुबोद कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 241 कपिल कुमार थाना कोतवाली हेदात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 922 गौरव त्यागी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक -11.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी साइबर हेल्पडैस्क टीम द्वारा पीडित के खाते से आनलाइन साइबर ठगी के माध्यम से ठगी गयी कुल 99426/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि पीडित के खाते में करायी गयी वापस

अवगत कराना है कि दिनांक 27.04. इस्लाम निवासी 0मुज्जमिल पुत्र मौ 0को वादी श्री मौ 2025ग्राम हरौडा थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर ने थाना उपस्थित आकर बताया कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के साथ आनलाइन साइबर ठगी के माध्यम से कुल 99,426/- रूपये क्रडिट कार्ड के माध्यम से फ्राड किया करने की सूचना के सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा शिकायत संपंजीकृत 23104250063434 0 करायी गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम व साइबर फ्राड में ठगी गयी धनराशि को पीडितो के खाते में वापस कराये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगरक्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा /नोडल अधिकारी एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ थानाध्यक्ष गागलहेड़ी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना गागलहेडी साइबर हेल्प डैस्क टीम द्वारा**प्रभावी कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित नोडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए शिकायतकर्तापीडित के / 99 खाते मे ठगी कुल,426/- रूपये की शतप्रतिशत धनराशि वापस** करायी गयी है। पीडित द्वारा थाना गागलेहडी साइबर हेल्पडैस्क टीम व सहारनपुर पुलिस का आभार व्यक्त किया गया है।

धनराशि वापस कराने वाली साइबर हेल्पडैस्क टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
2. कम्प्यूटर आपरेटर सन्नी सोम थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. कामोहित गर्ग थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर 577 0
4. कानवीन राठी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर 1679 0

दिनांक: 11.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा मात्र 14 घण्टे में वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी 01 मोटरसाइकिल व घटना मे प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनाँक 10.07.2025 को वादी श्री निपिन कुमार पुत्र राजकुमार निवासी आईटीसी लोडिंग गेट थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस UP12AU6827 आईटीसी लोडिंग गेट न0-02 के सामने चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 302/25 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल वाहन चोरी की घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये । आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 11.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में वाहन चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए मात्र 14 घण्टे में **02 वाहन चोर अभियुक्तगण 1. मोहित पुत्र योगेश नि0 ग्राम सबदलपुर रविदास मन्दिर के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर व 2. साहिल पुत्र पिंटू नि0 ग्राम सबदलपुर रविदास मन्दिर के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को पथरिया पीर के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी गयी स्पलेण्डर प्लस मोटरसाइकिल UP12AU6827 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 302/25 धारा 303(2) बीएनएस) व चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस UP11AN7623 बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2)/318(4) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त साहिल ने पूछताछ पर बताया कि जो मोटरसाइकिल मै चला रहा था वह मैं व मेरे साथी मोहित ने योजना बनाकर परसो रात 9 तारीख को आईटीसी लोडिंग गेट के सामने से लगभग 12 बजे के आसपास चोरी की थी और बाद में हम दोनो नें ही इस मोटर साईकिल की पहचान छिपाने के लिये इस पर काले रंग का पेन्ट कर दिया था ताकि इसको कोई पहचान न सके और ये पकड़ में न आ पाये। इसके बाद अभियुक्त मोहित उपरोक्त नें बताया कि हम दोनो नें आईटीसी लोडिंग गेट के सामने से जो मोटर साईकिल स्पलण्डर प्लस काले रंग की चोरी की थी उस मोटर साईकिल को चोरी करने के लिये हम दोनो जिस मोटर साईकिल से गये थे वह यही मोटर साईकिल है जिसे मैं चला रहा था। यह मोटर साईकिल मेरे गांव के ही लड़के दीपक की है। जिसे मैं अपनी घरवाली की बीमारी का बहाना बनाकर दीपक से तीन चार दिन पहले मांग कर लाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. मोहित पुत्र योगेश नि0 ग्राम सबदलपुर रविदास मन्दिर के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. साहिल पुत्र पिंटू नि0 ग्राम सबदलपुर रविदास मन्दिर के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस UP12AU6827 (सम्बन्धित मु302 0सं0अ0/303 धारा 25(2) बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर)
- 01मोटर साईकिल स्पलेण्डर प्लस UP11AN7623(चोरी की घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना सदर बाजार स0पुर
2. है0का0 714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार स0पुर
3. है0का0 881 धीरज तोमर थाना सदर बाजार स0पुर

-प्रेस नोट-

दिनांक – 11.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11 जनपद सहारनपुर द्वारा हत्या के मामलें में 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 01 लाख 95 हजार पचास रूपये के अर्थदण्ड की सुनायी गया सजा –

अवगत कराना है कि दिनांक 18.08.2019 को वादिनी श्रीमति उर्मिला पत्नि परवीन कुमार निवासी माधव नगर थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1. महिपाल सैनी पुत्र जगदीश, 2. सूरज सैनी पुत्र महिपाल सैनी, 3. सन्नी (बाल औपचारी) पुत्र महिपाल सैनी, 4. बिमलेश पत्नि महिपाल सैनी, 5. बाल अपचारी पुत्र महिपाल सैनी व 6. बाल अपचारी पुत्री महिपाल सैनी निवासीगण माघव नगर थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर द्वारा एक राय होकर वादिया के घर में अवैध हथियारो से लैस होकर घुस जाने व वादिया के पुत्र आशीष व आशुतोष के साथ गाली गलौच कर मारपीट करने व गोली मारकर हत्या कर देने तथा वादिया के ऊपर महिपाल सैनी द्वारा जान से मारने की नियत से हमला कर देने की सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0स0-285/2019 धारा 147,148,149,452,302,307,323,504 भादवि के पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-598/2019 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-11जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में OPERATION CONVICTION में चिन्हित मॉनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 जनपद सहारनपुर द्वारा **आज दिनांक 11.07.2025 को अभियुक्तगण 1. महिपाल सैनी पुत्र जगदीश, 2. सूरज सैनी पुत्र महिपाल सैनी व 3. बिमलेश पत्नि महिपाल सैनी नि0गण माघव नगर थाना को0नगर जिला सहारनपुर को मु0अ0स0-285/2019 धारा 147,148,149, 452,302,307,323,504 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 01 लाख 95 हजार पचास रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया गया।

नोटः-अभियुक्त- 03 बाल औपचारी की फाइल मा0 न्यायालय फाइल जुनाईल कोर्ट में में प्रचलित है।

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्री अमित त्यागी
विवेचक निरीक्षक श्री विरेशपाल गिरी
पैरोकार है0का0 1091 हिमांशु कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर